

लय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु० न०- 193/2022

तारीखरजू- 31.10.22

उनवान:- उम्मेद सिंह बनाम बत्तू  
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
31 <sup>10</sup> / <sub>22</sub>	वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 25.11.2022 को पेश हो।  <p style="text-align: right;">(दुर्गा प्रसाद भीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
25 <sup>11</sup> / <sub>22</sub>	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० प्रतिवादी न०। लगा० 8 की ओर से श्री रामचरोसी गुप्ता एडवो ने भीमो पेश किया। जो शामिल पत्रावली के वास्ते वकालतनामा पेश करने दिनांक 3.1.23 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद भीना)</p>
3.1.23	वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पाठासीन अधिकारी... रा. प्र. कार्या... से बाहर पधारें है पत्रावली गतानुसार दिनांक... 7.2.23 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद भीना)</p>
7.2.23	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी वकील ने वकालतनामा पेश करने के लिए सफ्त प्राप्त। सफ्त दिया जाना। वास्ते वकालतनामा एवं जबाब पेश करने दिनांक 8.3.23 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद भीना)</p>
8.3.23	पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से काव स्थगन रखा गया है। पीकरमन अधिकारी... आ. प्र. कार्या... से बाहर पधारें है। गतानुसार दिनांक... 12.4.23 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद भीना)</p>
18 <sup>4</sup> / <sub>23</sub>	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप० गतानुसार वास्ते वकालतनामा एवं जबाब पेश करने दिनांक 5.5.23 को पेश हो।  <p style="text-align: center;">(दुर्गा प्रसाद भीना)</p>

6051-58  
31.10.22



